आदेश का क्र० संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **बंदोबस्ती अपील 69/2010** **मृत्युंजय पातर एवं अन्य बनाम् साधु पातर** **बंदोबस्ती अपील 70/2010** **मृत्युंजय पातर एवं अन्य बनाम् साधु पातर** प्रश्नगत् बंदोबस्त अपील प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त कार्यालय द्वारा वाद संख्या–239/2008 एवं 338/2008 में पारित आदेशों के विरूद्ध दायर किये गये है। वाद संख्या–338/2008 में खाता नम्बर–994, खेसरा–239/216, रकबा–36 डिसमिल तथा वाद संख्या–239/2008 में खाता नम्बर–173 (क) 1060 में अवस्थित 11 खेसरा के कुल कुल रकबा–3.08 एकड़ भूमि के खतियान में विपक्षी साधु पातर के नाम से खाता खोलने का आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत् दोनों वाद की प्रकृति समान है एवं पक्षकार भी समान है। अतः दोनों वादों की सुनवाई एक साथ की गयी है। उभयपक्षों के सुनवाई एवं दायर लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रभारी पदाधिकारी द्वारा वादी के बयान एवं खतियानी रैयत के वंशज होने के फलस्वरूप मानवीय आधार पर खतियान में संशोधन के आदेश पारित किये गये है, जैसा कि आदेश में उल्लेखित है। दोनों आदेश संक्षिप्त है तथा किसी भी प्रकार की विवेचना का उल्लेख नहीं है। मात्र मानवीय आधार पर न्यायिक कार्यों का निष्पादन राजस्व मामलों में किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। प्रश्नगत् मामले में मुंसिफ न्यायालय, राँची द्वारा Title Suit क्रमांक–163/954 में पारित आदेश. एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त वाद रामजीवन पातर द्वारा गोर्वधन पातर के विरूद्ध खाता नम्बर–784, 167 एवं 436 ग्राम–चोकाहातु में अवस्थित भूमि तथा खाता नम्बर–1060 एवं 722 में अवस्थित भूमि के संबंध में दायर किया गया था। उक्त वाद के आवेदक रामजीवन पातर वर्तमान विपक्षी साधु पातर के पिता थे। अतः उक्त वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष अति महत्वपूर्ण है। विपक्षियों का मुख्य दावा खुदी पातर जो विपक्षियों के दादा थे, के खतियानी रैयत गुरूवारी देवी के दत्तक पुत्र होने के आधार पर आधारित है। निम्न न्यायालय में भी विपक्षियों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि को अपने दादी	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

की भूमि बताया गया था। किन्तु उक्त Title Suit में यह स्पष्ट निष्कर्ष अंकित है कि खुदी पातर मसो. गुरूवारी के दत्तक पुत्र नहीं थे एवं खुदी पातर को गुरूवारी देवी के वारिस के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस स्पष्ट निष्कर्ष के पश्चात् खुदी पातर के पोते द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर पुनः दावा किया जाना उचित नहीं है। यह विषय सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व से ही निर्धारित किया जा चुका है। अतः पुनः अपने आप को खतियानी रैयत गुरूवारी देवी के दत्तक पुत्र के वंशज होने के आधार पर सर्वे इन्द्राज में तथा खतियान में संशोधन का दावा पूर्णत अनुचित है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना कोई जाँच किये मात्र विपक्षी के दृष्टिहीन होने के कारण मानवता के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। खतियान के इन्द्राज भूमि के अधिकार एवं दखल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भूमि के दखल की जाँच किये बिना आदेश पारित किये गये है। खाना–पूरी तनाजा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों की वंशावली एवं कागजी सबूत की समीक्षा करने के पश्चात् सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आवेदकों के दावे को मान्य करते हुये खतियान में इन्द्राज किये गये थे, जिन्हें प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा मात्र विपक्षी के बयान द्वारा परिवर्तित करने का आदेश दिया गया। स्पष्टतः उक्त आदेश को रद्द करना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में यह दोनों अपील आवेदन मान्य करते हुये प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाता है।

विपक्षी एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, अतः आवेदक उन्हें प्रश्नगत् भूमि में मानवता पूर्वक कोई हिस्सा उनके जीवन–यापन हेतु दिये जाने पर विचार कर सकते है, अन्यथा राज्य सरकार के नीति के अनुरूप उसी ग्राम में भूमि की बंदोबस्ती हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर तथा अंचल अधिकारी, सोनहातु को प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित

18/11/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

18/11/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.21 11:36:05 +05:30
Location: 10.93.72.187